



# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)  
एयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033

755-2678870

फ़ैक्स नं० 0755-2742006

क्रमांक/रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2161

भोपाल, दिनांक 2/06/2013

प्रति,

समस्त प्राचार्य/संचालक  
विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग/फार्मेसी  
एम०सी०ए०/आर्किटेक्चर महाविद्यालय  
मध्य प्रदेश।

विषय - संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मानव अधिकार आयोग द्वारा बताये गये सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल किया जावे। राज्य शासन, मानव अधिकार आयोग, जिला प्रशासन द्वारा संश्लेषित संस्थानों को समय-समय पर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

यह सुनिश्चित करे कि इन सुझावों का समुचित पालन हो एवं रैगिंग के संघर्ष में "जीरो टॉलरेंस" की नीति का सतत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन निर्देशों को सूचनापट्टों पर तथा वरिष्ठ छात्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से प्रसारित करवाने का कष्ट करे, ताकि छात्रों के बीच रैगिंग जैसी गंभीर कुप्रथा के विरोध में जागरूकता पैदा की जा सके। महाविद्यालय में रैगिंग कमेटी का गठन किया जावे एवं कमेटी के सदस्यों के नाम उनके मोबाइल नम्बर सहित सूचना पटल पर उल्लेख किया जावे जिससे कनिष्ठ छात्रों के भय को दूर किया जा सके एवं वह अपने साथ की जा रही किसी भी प्रकार की रैगिंग से महाविद्यालय प्रशासन को आसानी से अवगत करा सके।

महाविद्यालयों में कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच सही सम्बन्ध एवं अन्य गतिविधियों का आवांजन सुनिश्चित करे जिससे कि वरिष्ठ छात्र रैगिंग जैसी कुप्रथा में संलग्न न हो सकें एवं संस्थान के वरिष्ठ छात्रों के होस्टल का आकर्षक निर्माण भी करे, तथा किसी भी अनैतिक गतिविधि में संलग्न छात्रों के साथ कड़ाई से अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। साथ ही अपने महाविद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की पदस्थापना पर विचार कर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

आप को निर्देशित किया जाता है कि, संस्थान द्वारा रैगिंग रोकने संबंधी उठाये जा रहे अन्य आवश्यक प्रयासों एवं योजनाओं के संबंध में विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें।

*(Handwritten Signature)*  
26.6.13

(डॉ० अनिल गोपाल)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 2/06/2013

क्रमांक/रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2161

प्रतिलिपि -

- माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के निज सचिव की ओर माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के सूचनार्थ प्रेषित।
- माननीय मंत्री जी, तकनीक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- संचालक, तकनीक शिक्षा संचालनालय रातपुढा भवन चतुर्थ तल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- माननीय कुलपति जी के स्टाफ ऑफिसर की ओर माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

*(Handwritten Signature)*  
26.6.13

(डॉ० अनिल गोपाल)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल



# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)

ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033

फोन नं० 755-2678870

फैक्स नं० 0755-2742006

क्रमांक/रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2356

भोपाल, दिनांक // 07 / 2013

## स्मरण पत्र

प्रति

समस्त प्राचार्य / संचालक  
विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग / फार्मेसी  
एग्रेसिव / आर्टिस्टिक महाविद्यालय  
मध्य प्रदेश।

विषय : - संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मानव अधिकार आयोग द्वारा बताये गये सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल किया जावे। राज्य शासन, मानव अधिकार आयोग, जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को समय-समय पर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

यह सुनिश्चित करे कि, इन सुझावों का समुचित पालन हो एवं रैगिंग के संबंध में "जीरो टॉलरेंस" की नीति का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन निर्देशों को सूचनापटलों पर तथा वरिष्ठ छात्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से प्रसारित करवाने का कष्ट करे, ताकि छात्रों के बीच रैगिंग जैसी गंभीर कुप्रथा के विरोध में जागरूकता पैदा की जा सके। विश्वविद्यालय से प्राप्त, रैगिंग रोकथाम के पोस्टर महाविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर चस्पा करें। महाविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया जावे एवं कमेटी के सदस्यों के नाम उनके मोबाईल नम्बर सहित सूचना पटल पर चस्पा किया जावे। जिससे कनिष्ठ छात्रों के भय को दूर किया जा सके एवं वह अपने साथ की जा रही किसी भी प्रकार की रैगिंग से महाविद्यालय प्रशासन को आसानी से अवगत करा सके।

महाविद्यालयों में कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्नेह सम्मेलन एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करें, जिससे कि वरिष्ठ छात्र रैगिंग जैसी कुप्रथा में संलग्न न हो सकें एवं संस्थान के वरिष्ठ छात्रों के होस्टल का आकस्मिक निरीक्षण भी करे, तथा किसी भी अनैतिक गतिविधि में संलग्न छात्रों के साथ कड़ाई से अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। साथ ही अपने महाविद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की पदस्थापना पर विचार कर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

आप को निर्देशित किया जाता है कि, संस्थान द्वारा रैगिंग रोकने संबंधी उठाये जा रहे अन्य आवश्यक प्रयासों एवं योजनाओं के संबंध में विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें।

(डॉ० अनिल गोयल)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल

क्रमांक/रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2357

भोपाल, दिनांक // 07 / 2013

प्रतिलिपि -

- 1 माननीय महामहिम कुलाधिपति जी, के निज सचिव की ओर माननीय महामहिम कुलाधिपति जी, के सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 माननीय मंत्री जी, तकनीक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 संचालक, तकनीक शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन चतुर्थ तल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 माननीय कुलपति जी के स्टाफ ऑफिसर की ओर माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

(डॉ० अनिल गोयल)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल

M/F

# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)

एमएच पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033

फोन नं० 2678870

फैक्स नं० 2755-2742006

कक्षा - ल गाँ जी वि / अधिष्ठाता छात्र कल्याण / 2013/14/3

भाषा - हिन्दी / 06 / 2013

श्री

सबसे प्रमुख, सभालक

विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग / फार्मसी

एच.सी.एस. / आर्किटेक्चर महाविद्यालय

भोपाल प्रदेश।

विषय - छात्रवास की सम्बन्धित जानकारी के संबंध में।

शुद्ध

उपरोक्त विषयान्वित लेख है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संबद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ संचालित किए जा रहे छात्रवास की सम्बन्धित जानकारी निम्न विन्दुओं पर जारी होने की दिशा में एक सप्ताह की अवधि में अपना आवश्यक रूप में इन विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

1. क्या सस्था का छात्रवास सस्था के परिसर में स्थित है अथवा नहीं ? यदि है तो छात्रवास का कुल क्षेत्रफल एवं उसकी क्षमता इत्यादि।
2. छात्रवास यदि सस्था के बाहर संचालित किया जा रहा है तो इस स्थान का माल एवं दुरभाष तथा गृहस्वामी का नाम यदि अनुकूल विषयवित्त किया हो तो उसकी भी जानकारी का प्रेषण करें।
3. छात्रवास में छात्र - छात्राओं के रहने अथवा उनकी सुरक्षा को क्या व्यवस्था की गई है उसकी सम्पूर्ण जानकारी दें।
4. परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है यदि नहीं तो छात्रवास में सतत सुरक्षाकर्मी की जानकारी भय पहचान-पत्र के दें।
5. छात्रवास की देखरेख हेतु किस व्यक्ति को अधिकृत किया गया है उसकी सम्पूर्ण जानकारी भय मोबाईल एवं दुरभाष क्रमांक सहित दें।
6. आपकी सस्था द्वारा एनटी शैमिंग समिति का गठन किया गया है अथवा नहीं ? किया गया है तो उनके सदस्यों की जानकारी दें और यदि नहीं किया गया है तो अपना स्पष्टीकरण दें।
7. शैमिंग की रोकथाम हेतु सस्था स्तर पर की गई कार्यवाही में अद्यतन बताएं।

नोट - सत्र 2013-14 हेतु शैमिंग रोकथाम पोस्टर विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा के आयक-जायक विभाग से प्राप्त कर अपनी सस्था के अधिकतम स्थानी एवं छात्रवास में आवश्यक रूप से चस्पा करें।



(डॉ० अनिल नायक)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

भोपाल



# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)

ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033

फोन नं० 755-2678870

फैक्स नं० 0755-2742006

क्रमांक/रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/ 2550

भोपाल, दिनांक 08/08/2013

## // सूचना //

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के संचालक/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार ( पत्र क्रं. /रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2164 भोपाल, दिनांक 26/07/2013, एवं पत्र क्रं./रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2356 भोपाल, दिनांक 11/07/2013 ) निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अधिकतम महाविद्यालयों ने सत्र 2013-2014 हेतु एण्टीरैगिंग कमेटी का गठन नहीं किया है। अतः शीघ्र एण्टीरैगिंग कमेटी का गठन कर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग में सूचित करें अन्यथा आपके महाविद्यालय के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

01.08.13

(डॉ. अनिल गोयल)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

भोपाल